मुकदमा 71/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांकः— 17.06.2024

मुकदमा 71/2022

पीठासीन अधिकारीः— पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. मगनबाई पुत्री कलुवा पत्नि रामखिलाडी जाति मीना निवासी माचडी तहसील टोडाभीम। (सायला)

बनाम

1. श्रीमन पुत्र किशोरी मीना
2. हरिया पुत्र किशोरी मीना
3. भरोसी पुत्र किशोरी मीना
4. मुनेश पुत्र भरोसी मीना
5. दिलराज पुत्र कैलाश मीना
   निवासीयान माचडी तहसील टोडाभीम।
6. तहसीलदार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः— श्री लखन लाल मीना एडवोकट सायला
श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट गैरसायलान न0 1 ता 5

निर्णय

दिनांक 10.10.2024

सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम माचडी की आराजी ख0न0 278/0.34 है0 मे सायला बहिस्सा 23/34 तथा गैरसायलान 11/34 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। आराजी ख0न0 274/0.01, 276/0.01 मे सायला सम्पूर्ण हिस्से की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है जिसमे गैरसायलान का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। वर्णित आराजी ख0न0 274 मे सायल हिस्सा 23/34 एवं ख0न0 274, 276 सायला की खातेदारी व कब्जे की है। सायला की आराजी से गैरसायलान का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। परन्तु उसके बाद भी गैरसायलान सायला को परेशान करते है। सायला की कब्जे काश्त मे परेशानी पैदा करते है एवं डौल मेड को तोडते रहते है। व जबरदस्ती सायला की आराजी पर कब्जा करना चाहते है। सायला की आराजी मे निशानात को मिटा देते है तथा जबरदस्ती आराजी को हडपना चाहते है।

बाका दिनांक 14.06.2024 को सायला अपने कुओ की देखभाल करने व अपने खेतो मे सूल—बबूल कर रही थी कि अचानक मौके पर गैरसायलान आ गये और बोले कि तेरे खेत के औने पौने दाम ले लो वरना हम जबरदस्ती कब्जा करेगे। इस पर सायला ने काफी अनुनय विनय की परन्तु गैरसायलान ने एक नही मानी इसलिये यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। इस पर सायला को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नही है। सायला का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति सायला के पक्ष मे साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:48:58 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ता दावा फैसला पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम माचडी की आराजी ख0न0 278/0.34, 274/0.01, 276/0.01 है0 मे सायला की कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे। रहन बेचान नही करे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Scanned with OKEN Scanner

उनवानः– मगनबाई बनाम श्रीमन

–71/2022

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायल न0 6 तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित, गैरसायल न0 1 ता 5 की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने वकालतनाम पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल न0 1 ता 5 को जबाब पेश करने के कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाब पेश नही किये जाने से गैरसायलान का जबाब बन्द किया गया।

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। सायला वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी ख0न0 278/0.34 है0 मे सायला बहिस्सा 23/34 तथा गैरसायलान 11/34 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। आराजी ख0न0 274/0.01, 276/0.01 मे सायला सम्पूर्ण हिस्से की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है जिसमे गैरसायलान का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। वर्णित आराजी सायला की खातेदारी व कब्जे की है। सायला की आराजी से गैरसायलान का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। परन्तु उसके बाद भी गैरसायलान सायला को परेशान करते रहते है। सायला की कब्जे काश्त मे परेशानी पैदा करते है एवं डौल मेड को तोडते रहते है। व जबरदस्ती सायला की आराजी पर कब्जा करना चाहते है। सायला की आराजी मे निशानात को मिटा देते है तथा जबरदस्ती आराजी को हडपना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाकर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे सायला की कब्जे काश्त की आरजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

गैरसायलान वकील ने बहस मे कथन किया कि गैरसायलान प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात ख0न0 278/0.34 है0 मे सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है, और ख0न0 274/0.01, 276/0.01 मे सायला खातेदार दर्ज रिकार्ड है, उक्त दोनो खसरा नम्बरान की किस्म गै0मु0 कुआ दर्ज रिकार्ड है। और आराजी किस्म गै0मु0 कुआ होने से गैरसायलान को पाबन्द नही किया जा सकता है। आराजी ख0न0 278 मे गैरसायलान सहखातेदार होने से पाबन्द नही किया जा सकता। अतः सायला का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम माचडी की आराजी ख0न0 278 रकवा 0.34 है0 मे सायला मगनबाई पुत्री कलुवा हिस्सा 23/34 की तथा गैरसायलान के बुजुर्ग रमकी देवी पत्नि किशोरी हिस्सा 11/34 की खातेदार दर्ज रिकार्ड है। तथा ख0न0 274/0.01, 276/0.01 मे सायला मगनबाई पुत्री कलुवा सम्पूर्ण हिस्से की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी अनुसार ख0न0 278 मे गैरसायलान नोशनल शेयर के खातेदार साबित है। तथा सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। ख0न0 274, 276 की किस्म गै0मु0कुआ दर्ज होने से गै0मु0कुआ व गै0मु0रास्ते मे नियमानुसार पाबन्द किया जाना उचित नही है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण सायला के पक्ष मे साबित नही है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण सायला के पक्ष मे साबित नही होने से सुविधा का संतुलन सायला के पक्ष मे साबित नही है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे यदि गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है तो गैर सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

उक्त तीनो बिन्दु सायला के पक्ष मे साबित नही है। अतः सायला का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2024 को खुले न्यायालय मे लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:48:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner